

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत।
कार्यालय आदेश संख्या 39/2026, दिनांक 08 अक्टूबर, 2026

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, चम्पावत से सम्यक विचार-विमर्श उपरांत पूर्व में पारित आदेश संख्या 35/2025 दिनांकित 09 सितम्बर 2026 को संशोधित करते हुए फौजदारी व परिवाद मामलों की सुनवाई एवं विचारण हेतु निम्नलिखित अधिकारिता प्रदान की जाती है।

1- न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट टनकपुर की क्षेत्राधिकारिता		
क्रमोंक	प्रदत्त क्षेत्राधिकारिता	टिप्पणी
1-	थाना/कोतवाली-टनकपुर एवं थाना-बनबसा के अन्तर्गत परिवाद पर संस्थित समस्त दाण्डिक मामले,	

2. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, टनकपुर की क्षेत्राधिकारिता		
क्रमोंक	प्रदत्त क्षेत्राधिकारिता	टिप्पणी
1-	थाना कोतवाली-टनकपुर के साथ-साथ थाना-बनबसा के अन्तर्गत पुलिस चालान पर संस्थित मामले (जिनमे एम0वी0 एक्ट व ए0आर0टी0ओ0 के मामले भी शामिल है।)	

तदनुसार सम्बन्धित सूचित हों।

(निहारिका मित्तल गुप्ता)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत।

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत।

पत्रांक 269/2026 कार्यालय सी0जे0एम0 चम्पावत: दि0 08 अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि:-माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय चम्पावत को सादर अवलोकनार्थ एवं निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट, चम्पावत।
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, चम्पावत को समस्त पुलिस थानों को सूचित करने हेतु।
3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी टनकपुर।
4. सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, टनकपुर।
5. सहायक निदेशक अभियोजन, जनपदीय अभियोजन कार्यालय चम्पावत।
6. अधीक्षक जिला कारागार पिथौरागढ़।
7. अध्यक्ष/सचिव, जिला बार एसोसिएशन, चम्पावत एवं टनकपुर।
8. सिस्टम ऑफिसर, जिला जजी चम्पावत को जजशिप चम्पावत की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
09. गार्ड फाइल।

(निहारिका मित्तल गुप्ता)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चम्पावत।